

31.5.21

पतावली पेश हुई। वकील पक्ष का शब्द अनुपादित /
वादीगण व वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को न्यायालय
संसदतंत्र द्वारा आवाज लगावाई गई। लेकिन कोई
उपास्थित नहीं हुए। और जो-ही प्रतिवादीगणों की तामील करवाई गई
जब प्रतिवादीगणों को तामील हेतु सलवाना जोरिस पेश किया गया है।

अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.पी.ए.
प्रतिवादीगणों को वात्ति तामील जोरिस सलवाना पेश करने के लिए
पर अन्तर्गत आदेश 09 नियम 55 के तहत कार्रवाई
की जा जाना है। पतावली जिसल सुमार होकार नम्बर 1
कम होकार दाखिल दफ्तार है। निर्णय जुल न्यायालय
में सुनाया गया।

उपसभ अधिकारी
संभर लेक

